बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांक– रे0 / यो0 स्की0–18 / 2017 पटना, दिनांक–

प्रेषक,

सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार(ले० एवं हक०),
बिहार, पटना।

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित

द्वारा :– आंतरिक वित्तीय सलाहकार *

विषय :– मलवरी प्रसार सह प्रशिक्षण केन्द्र, राघोपुर, बखरी सीतामढ़ी में मलवरी उत्पादन प्रदर्शन के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 में रू0 4,00,000 / – (चार लाख) मात्र के निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मलवरी प्रसार सह प्रशिक्षण केन्द्र, राघोपुर, बखरी सीतामढ़ी से संबद्ध एक फार्म है, जिसमें जीविका द्वारा प्रयोग के तौर पर दो एकड़ में मलवरी पौधारोपण / कीटपालन कर मलवरी कोया उत्पादन एवं प्रदर्शन के लिए निदेशानुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 में कुल रू0 4,00,000 / – (चार लाख) मात्र के निकासी एवं व्ययव की स्वीकृति प्रदान की जाती है / कार्यक्रमवार स्वीकृत राशि निम्नांकित है –

(रू0 लाख में)

क्र0सं0	कार्यक्रम	भौतिक लक्ष्य	इकाई लागत (रू0)	कुल लागत
1	मलवरी पौधारोपण (एकड़)	2.00	50000	1.00
2	सिंचाई व्यवस्था (इकाई)	1	50000	0.50
3	कीटपालन उपस्कर (इकाई)	2	75000	1.50
4	फार्म मे उपलब्ध कीटपालन घर की मरम्मती		एकमुश्त	1.00
	कुल			4.00

(रू0 चार लाख मात्र)

2. उपर्युक्त स्वीकृत राशि रू0 4,00,000 / – (चार लाख) मात्र का व्यय मुख्यशीर्ष–2851–ग्राम तथा लघु उद्योग, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–107–रेशम उत्पादन उद्योग, उपशीर्ष–0101 पिछड़ी जातियों के लिए विशेष अंगीभूत योजना–रेशम का विकास, विपत्र कोड– 23- 2851001070101 के अन्तर्गत विषय शीर्ष –0101.31.05 सहायक अनुदान–परिसंपत्तियों के निर्माण मद से विकलित होगा। इसके लिए यथेष्ट उपबंध उपलब्ध है।

3. उपर्युक्त स्वीकृत राशि की अग्रिम के रूप में एकमुश्त निकासी परियोजना पदाधिकारी, मलवरी प्रसार सह प्रशिक्षण केन्द्र, राघोपुर, बखरी सीतामढ़ी के द्वारा सीतामढ़ी कोषागार से मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका, बिहार, पटना के पक्ष में की जाएगी। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत राशि की निकासी में बिहार कोषागार संहिता 2011 के नियम 176 एवं 177 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

4. इस योजना का कार्यान्वयन जीविका द्वारा किया जाएगा। जीविका अपने Procurement Guidelines के अनुासार सामग्रियों का क्रय करेगा।

5. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना होंगे। वे केन्द्र प्रभारी के माध्यम, इस योजना का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करेंगे एवं कार्यान्वयन पदाधिकारियों से प्राप्त व्यय विवरणी / उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर महालेखाकार को भेजेंगे।

6. यह राज्यादेश संचिका संख्या– रे0/यो0/स्वी0–18/17 के पृष्ठ 06/टि0 पर दिनांक 28.12.2017 को प्राप्त आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

7. राशि की निकासी एवं व्यय में वित्त विभागीय पत्रंक 2561 दिनांक 17.04.1998 में निहित अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

8. वित्त विभागीय पत्रांक 7355 दिनांक 05.10.2007 के आलोक में प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

9. अग्रिम निकासी के प्रस्ताव में माननीय मंत्री, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

ह0/–
सरकार के अपर सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–. रे0/यो0 स्वी0–18/2017 पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– कोषागार पदाधिकारी, सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–. रे0/यो0 स्वी0–18/2017 पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– परियोजना पदाधिकारी, मलवरी प्रसार सह प्रशिक्षण केन्द्र, राघोपुर, बखरी सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–. रे0/यो0 स्वी0–18/2017 पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका, बिहार, पटना/संबंधित जिला परियोजना प्रबंधक, जीविका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–. रे0/यो0 स्वी0–18/2017 15 पटना, दिनांक– 02-01-18

प्रतिलिपि– वित्त विभाग, बिहार, पटना/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, ह०रे०, बिहार,पटना/आय–व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी/उप विकास आयुक्त, सीतामढ़ी/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, सीतामढ़ी/योजना शाखा, उद्योग विभाग/बजट शाखा, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को तथा आई0 टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

2/1/18

M/Rajyadesh